सुलभ शौचालय पर लटका ताला

सांभरझील। सांभर देवयानी सरोवर स्थित आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए करीब 20 लाख रुपए के सुलभ शौचालय पर आए दिन ताला लटका मिलता है। यहां के मंदिर पुजारियों से बात करने को बताया कि इस मामले में कई दफा नगरपालिका प्रशासन को बोलकर ताला खुलवाया गया था।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
पृथ्वीराज नगर (उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
क्रमांक:- जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर (द्वितीय)/2025/डी-191
दिनांक:- 02.04.2025
सार्वजनिक सूचना
सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना-कमला नगर, के भूखण्ड संख्या ए8ए (क्षेत्रफल 170.14 वर्गगज) के नाम हस्तान्तरण/फ्री-होल्ड लीजडीड हेतु श्री शीशराम जाखड़ पुत्र श्री रामचन्द्र जाखड़ ने आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उक्त भूखण्ड के जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड (श्रखंलाबद्ध दस्तावेज) गुम होने की एफ.आई.आर. एवं दैनिक समाचार पत्र में खोया-पाया प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति प्रस्तुत की है। यदि उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि मे कार्यालय को आपत्ति प्रस्तत करें, अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड की फ्री-होल्ड लीजडीड/नाम हस्तान्तरण जारी कर दिया जावेगा।
उपायुक्त पी.आर.एन.- उत्तर II, जविप्रा, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6456 दिनांक-11.02.2025
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास संख्या 52/142 (HIG), (एरिया 83.293 वर्गमीटर), का आवंटन श्रीमती अंजली माथुर पत्नी श्री सुशील माथुर को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1585 दिनांक 30.08.2002 के द्वारा जारी किया गया था। श्रीमती अंजली माथुर के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 20.10.2004 को उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर के यहाँ पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती अंजली माथुर द्वारा उक्त आवास को दिनांक 03.11.2004 के द्वारा श्रीमती राजेश्वरी नाग पत्नी श्री ललित कुमार नाग को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती राजेश्वरी नाग की मृत्यु दिनांक 15.02.2023 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री मोनिष नाग पुत्र श्री ललित कुमार नाग द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बावत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री मोनिष नाग पुत्र श्री ललित कुमार नाग का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 36/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री कृष्ण धानुका पुत्र श्री कैलाश चन्द्र धानुका निवासी बी-1341, तीसरी मंजिल, पालम विहार, व्यापार केन्द्र के सामने, गेट नम्बर 05, सेक्टर-02, चौमा (62), गुरूग्राम, हरियाणा-122017 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत धानुका परिवार बलारां चैरिटेबल ट्रस्ट, बलारां जिला सीकर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 02.06.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/156
चूंकि प्रार्थी श्री GOPAL LAL MEENA] Anokha Gav, Nathu Walo Ki Dhani, Machda Rajawas Po & Harmada Dis& Jaipur, Rajasthan, 302032 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत न्यास **L.N.FOUNDATION**, राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा दत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है। कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 01-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 05/06/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 27/2025
चूंकि श्री सत्य नारायण कुमावत ने पंजीकृत प्रन्यास श्री कुमावत शिक्षा कोष ट्रस्ट, सुकेसर, 29, बरकत नगर गली नम्बर 17, आदर्श बाजार जयपुर 302015 जिसका पंजीयन क्रमांक 32 जयपुर 2004 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के नाम सम्पदा क्रय कर उक्त सम्पदा को प्रन्यास रिकार्ड दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र -8 में आवेदन पत्र दिया है। अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोकत निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 22/3/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया। आइदा तारीख पेशी 5/5/25
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, लगाया जाम

निवाई। गांव महाराजपुरा के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर बुधवार की सुबह रोड पर पानी के खाली बर्तनों के साथ जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मामले की जानकारी ली। ग्रामीणों ने उक्त समस्या को लेकर समझाइश की।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक वर्ष से बीसलपुर का पानी नहीं आ रहा है जिससे परेशानी का सामना करना

सहायक अभियंता हरिसिंह ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी ली

पड रहा है। उन्होंने बताया कि पेयजल समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। प्रदर्शन की सूचना पर बीसलपुर परियोजना के सहायक अभियंता हरिसिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी ली। सहायक अभियंता ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि अति शीघ्र ही उक्त समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ग्रामीणों के चेतावनी देते हो कहा 10 दिवस के अंदर उक्त समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बीसलपुर कार्यालय पर भूख हडताल की जाएगी। समझाइश के बाद ग्रामीणों धरना प्रदर्शन स्थल से स्वयं ही हट गए। इस दौरान पूर्व सरपंच श्रीराम चौधरी, लक्ष्मण, करणसिंह, पृथ्वीराज मीणा, बंटी, मधु, सोनिया, किरण, करिश्मा, सपना, सुशीला, बैजयंती, रजनी, आशा, कंचन, कौशल्या, सुनीता व प्रियंका सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

महिलाओं ने पेयजल समस्या को लेकर प्रदर्शन किया।

तीन दिवसीय वार्षिक मेला 5 से होगा शुरू

निवाई। गांव मुंडिया में जय भवानी बिणज्यारी माता का तीन दिवसीय वार्षिक मेला 5 अप्रैल से शुरू होगा। मेला समिति के अध्यक्ष पप्पूलाल मीणा ने बताया कि 5 अप्रैल अष्टमी को आचार्य हवन-पूजन कर मेले का शुभारंभ करेंगे। 6 अप्रैल रामनवमी की शाम मीणा पद दंगल होगा। इसमें राजू मीणा, रामजीलाल मीणा, कानाराम मीणा, पांचूराम बारवाल, कैलाश मीणा, बुद्धिप्रकाश मीणा व सुरजन मीणा प्रस्तुतियां देंगे। 7 अप्रैल दशमी को शाम 4 बजे दौड़ प्रतियोगिता होगी। शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसमें गायक मीनू मेवाडी, प्रेम मुंडा, धनराज मीणा, समयसिंह पिलवाल, भारत, किशोर छैला, पायल, दिलावर सिंह व महेंद्र सहित कई कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। अध्यक्ष पप्पूलाल मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा मेले के आयोजन को लेकर मेला स्थल पर साफ-सफाई करवा दी गई है।

सुरेश अग्रवाल बने अध्यक्ष

देवली। श्री व्यापार महासंघ के चुनाव संपन्न हुए जिसमें सुरेश अठावाल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।

काफी समय से अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के बाद श्री महासंघ देवली के बहुप्रतिक्षित चुनाव मंगलवार को शहर के एक निजी होटल में आयोजित किए गए। इस बैठक में शहर

देवली में व्यापार महासंघ के चुनाव संपन्न

के दर्जनों व्यापारी बंधुओं ने हिस्सा लिया और चुनाव प्रक्रिया के बाद सुरेश अग्रवाल को सर्वसम्मति से महासंघ का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता रमेश जिंदल ने की जिन्होंने इस अवसर पर श्री व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए भी व्यापारियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। व्यापारियों ने रमेश जिंदल, रतन मंगल, उमाशंकर खूंटेटा, दिनेश जैन, सुरेश अठावाल और के नाम प्रस्तावित किए। हालांकि, रमेश जिंदल, दिनेश जैन ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद सुरेश अठावाल, उमाशंकर खूंटेटा और रतन मंगल अध्यक्ष पद की दौड़ में बने रहे। शुरुआत में व्यापारियों ने तीनों उम्मीदवारों के बीच आपसी सहमति से अध्यक्ष चुनने का प्रयास किया गया परंपरा के अनुसार सर्वसम्मति बनी रहे। लेकिन सहमति नहीं पाई इस के बाद रमेश जिंदल को अध्यक्ष बनाए जाने सुझाव आया जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यापारियों ने चुनाव नीति प्रक्रिया के तहत फैसला लेने का निर्णय लिया और गोलियो के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू की। और सुरेश अठावाल का नाम सामने आया। इस पर सभी ने सुरेश अग्रवाल को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया ओर व्यापारियों ने अठावाल को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में महासंघ के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सुरेश अग्रवाल को माला पहनाकर सम्मानित किया।

बाइक ने मारी टक्कर, स्कूटी पर सवार शिक्षिका की मौत

किशनगढ़ बास। खैरथल किशनगढबास सडक मार्ग पर स्कूल से ड्यूटी कर वापस स्कूटी से घर लौट रही शिक्षिका सरिता यादव की कुलतानपुर के पास तेज गति से आई बाईक की टक्कर लगने से मौके पर मृत्यु हो गई। महिला शिक्षिका के शव को किशनगढ बास अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। उधर बाइक सवार झांदीप पुत्र सुखबीर जाट निवासी बोहका (रेवाडी) गंभीर रूप से घायल होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देकर युवक को अलवर रैफर किया है।

शिक्षिका सरिता यादव नांगल मौजिया के सरकारी स्कूल में टीचर है। बुधवार को करीब 4:30 बजे स्कूल में पेपर खत्म होने के बाद वह अपनी स्कूटी से खैरथल घर लौट रही थी। स्कूल से घर जाते वक्त वह कुलतानपुर दूध लेने के लिए जा रही थी कि इस दौरान गांव के पास तेज गति से आई बाइक के चालक ने शिक्षिका की स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही शिक्षिका की गिरने पर मोत हों गई। बाईक की टक्कर लगने से शिक्षिका सरिता यादव की हुई मौत की खबर सुनकर शिक्षक एवं परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर किशनगढ बास पुलिस मौके पर पहुंची। महिला शिक्षिका के शव को किशनगढ बास अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया। महिला शिक्षिका के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। महिला शिक्षिका खैरथल मुरली कालोनी में रहती है शिक्षिका सरिता यादव के पति रामोवतार यादव भी शिक्षक है वह किशनगढ बास के गांव चोरबसई के राजकीय स्वामी विवेकानंद मांडल स्कूल में कार्यरत है।

ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

निवाई। सिरस से निवाई रेलवे स्टेशन के बीच पांच बम्बा के पास बुधवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बरोनी थानाधिकारी बृजेन्द्रसिंह राठौड ने बताया कि बालेश्वर (28) पुत्र रामअवतार जाट निवासी नला की सुबह 11:15 बजे जोधपुर से इंदौर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर बरोनी थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह, हनुमान, सत्यनारायण जाट व राजू लाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करके शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

शिक्षा मंत्री ने राहोली के पीएमश्री विद्यालय के शैक्षणिक नवाचारों को सराहा

निवाई। राहोली के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक नवाचारों की राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व स्वावलंबी भारत अभियान जयपुर प्रांत के प्रांत समन्वयक लोकेन्द्र सिंह नरूका ने सराहना की।

पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य डॉ.योगेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि विद्यालय के आठ पृष्ठीय समाचार पत्र को पढते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र किए जा रहे शैक्षणिक कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की। पीईईओ डॉ. नरूका ने पिछले कुछ वर्षों में राहोली के विद्यालयों में हुए

शिक्षा मंत्री दिलावर ने विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र किए जा रहे शैक्षणिक कार्यों की प्रशंसा की

शिक्षा समाचार पत्र का विमोचन करते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर।

भौतिक व शैक्षणिक विकास व आगामी भौतिक व शैक्षणिक लक्ष्यों के बारे में भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि राहोली निवाई ब्लॉक की एकमात्र ऐसी पंचायत है जहाँ पीएमश्री व महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय एक साथ संचालित है।

इसके पास ही लगभग आठ वर्षों से पेड के नीचे चल रहे ढाणी मालियान के प्राथमिक विद्यालय के लिए भी 75 लाख लागत से समग्र शिक्षा की ओर से नवीन भवन बना है। तीन वर्षों में पहली बार विद्यालय की छात्रा को इन्दिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, हिन्दी में शत-प्रतिशत अंक लाने पर राजभाषा विभाग द्वारा सम्मान, इन्स्पायर अवार्ड, स्काउट गतिविधियों का नियमित संचालन कर विद्यार्थियों का राज्यपाल व राष्ट पति अवार्ड के लिए चयन, एनएमएमएस स्कीम में चयन, काली बाई स्कूटी योजना में चयन, मलखम्ब व कबड्डी में राज्य स्तरीय चयन व प्रतिनिधित्व, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन, सोलर प्लांट, ईको क्लब गार्डन, किचन गार्डन का निर्माण, भामाशाह व जनसहयोग से कक्षा कक्ष निर्माण व अन्य विकास कार्य, डीएमएफटी, विधायक फण्ड, समग्र शिक्षा के द्वारा नवीन कक्षा कक्ष, एबीएल कक्ष निर्माण, शौचालय निर्माण, मैदान समतलीकरण, कचरा प्रबंधन, विद्युत व पेयजल व्यवस्था, फर्नीचर उपलब्धता, ऑटोमेटिक स्कूल बेल, प्रिन्टर, वाटर कूलर, अनिशमन यंत्र, इन्सीनेटर की व्यवस्था, प्री बोर्ड, मिशन लक्ष्य, चारदीवारी मरम्मत, विद्यालय में सडक निर्माण कार्य, स्मार्ट कक्षाएं, एपीजे अब्दुल कलाम योजना के अन्तर्गत अन्तर्जिला व अन्तर्राज्य भ्रमण में विद्यार्थियों का चयन, जिलास्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, जिला कलेक्टर टोंक द्वारा उजियारी पंचायत व शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय सर्वश्रेष्ठ एसएमसी व सर्वश्रेष्ठ प्रिन्सिपल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही वोकेशनल कोर्स की शुरुआत व बैंकिंग व फाइनेंस नवीन विषय की शुरुआत, ईको क्लब, विज्ञान, वोकेशनल ट्यूर, कौशल विकास मेला, बाल मेला, किशोरी मेला, करियर मेला, विज्ञान मेला, 21वीं सदी के कौशल, मानक व्यवस्था, एक्सपोजर विजिट, गणित विज्ञान सर्किल कार्यक्रम, इनोवेशन क्लब, विकास योजना व समाचार पत्र प्रकाशन, परिचय पत्र, निशुल्क टाई बेल्ट व स्वेटर वितरण आदि कार्यक्रमों ने राहोली के शैक्षणिक वातावरण को बदल कर रख दिया है। पीएमश्री स्कूल राहोली के प्रधानाचार्य नरूका को राजस्थान पत्रिका, फर्स्ट इण्डिया न्यूज चैनल, अभिनेत्री ईशा देओल आदि ने भी शैक्षणिक नवाचारों के लिए सम्मानित किया है। विद्यालय के प्रिंसिपल व शिक्षक विभिन्न शैक्षणिक अन्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय शोध, सेमिनार व वर्कशॉप में भी अपनी भागीदारी निभा चुके है।

फूड लाईसेंस नहीं होने पर निर्माण पर लगाई रोक : कोटपूतली सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मांडन कस्बे की मावा भट्टी एवं गुप्ता मिष्ठान भंडार के पास वैद्य खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होने पर निर्माण एवं विक्रय पर रोक लगाई।

आम सूचना हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरा मुवक्किल श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. वधूमल एक संपत्ति, पश्चिम भाग, भूखंड संख्या 142-A, शंकर नगर, योजना संख्या 10 कागड़ीवाड़ा, आमेर रोड, ब्रह्मपुरी, ग्राम जयपुर, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान (क्षेत्रफल 32.66 वर्गगज), उक्त संपत्ति को वसीयत के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। यह संपत्ति मूलतः पट्टा विलेख संख्या 1265, दिनांक 09.10.2002, द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जिला जयपुर, राजस्थान से श्रीमती पार्वती देवी पत्नी वधूमल के पक्ष में जारी किया गया था, जिसका पंजीकरण 10.10.2002 को उप पंजीयक, जयपुर-1 के समक्ष संपन्न हुआ था। श्रीमती पार्वती देवी ने दिनांक 26.11.2008 को एक वसीयतनामा पंजीकृत करवाया था जिसके अनुसार भूखंड संख्या 142-A, क्षेत्रफल 66.40 वर्ग गज) का भूतल और साझा भाग श्री अशोक कुमार को तथा प्रथम तल और साझा भाग श्री देवीदास पुत्र वधूमल को प्रदान किया गया था। इसके पश्चात श्रीमती पार्वती देवी का दिनांक 30.11.2008 को स्वर्गवास हो गया। अब श्री अशोक कुमार उपरोक्त संपत्ति के पश्चिमी भाग (32.66 वर्ग गज) को श्री बिश्वजीत डे पुत्र बेली डे के पक्ष में विक्रय कर रहे हैं। उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से ऋण ले रह हैं। अत: यह सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस संपत्ति की स्वामित्व स्थिति या इस ऋण प्रक्रिया से संबंधित कोई आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सात (07) दिनों के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने याद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी व सो सूचित रहें।
मुकुंद पंचारिया (एडवोकेट)
पता- 711, सातवीं मंजिल, एलीमेंट्स मॉल, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर
दिनांक : 02.04.2025 मो. 7793033590, 9829290229

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 13/25
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम प्रभाकर सारस्वत पुत्र श्री दिनेश सारस्वत जाति सारस्वत विवाद स्थान मकान नं. 9 लक्ष्मी विहार जे.वी.वी.एन.एल. ट्रांसपोर्ट के पास, सेक्टर नं. 11 सांगानेर जयपुर
मृतक श्री दिनेश सारस्वत की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 16.04.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम दिनेश सारवत पुत्र दीनदयाल सारस्वत जाति सारस्वत निवासी डी-13, स्टाफ कॉलोनी, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रिेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16 माह 04 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 24 माह 03 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम 10 जयपुर महानगर न्यायालय सांगानेर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 10 सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम
कैलाश विरुद्ध रामू वगै.
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र संख्या - 27/2025
नाम हीराचन्द डांगा पुत्र प्रभूचन्द जाति जैन पता मं.नं. 3760 कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
उक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04 माह 04 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 20 माह 03 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-शरिस्तेदार/रीडर
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
मोहर अदालत **संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर**

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 10 सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम
कैलाश विरुद्ध रामू वगै.
वाद/प्रार्थना पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र संख्या - 29/2025
नाम हीराचन्द डांगा पुत्र प्रभूचन्द जाति जैन पता मं.नं. 3760 कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर वादीगण ने आपके विरूद्ध नकल संलग्न के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 04.04.2025 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/ सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, हे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेगं साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 20 माह 03 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-शरिस्तेदार/रीडर
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
मोहर अदालत **संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर**

खोया पाया

दी शिवा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की स्कीम नं. प्रेम कॉलोनी के प्लॉट नं. 32, की मूल सोसायटी रसीद खो गई है, सूचित करें। सत्यजीत रॉय, मो.8290840356

म्युचुअल हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि.जयपुर की योजना स्कीम नं. 7-ए मीनावाला की दुकान संख्या 7 एवं 8 के समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान एवं पंजीकृत विक्रय पत्र कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। पारूल विजय एवं सीता देवी विजय, मो.9214333413

नाम परिवर्तन

मेरे पासपोर्ट में मेरे पिता का नाम मोहम्मद सलीम दर्ज है जबकि उनका सही नाम अब्दुल सलीम है। भविष्य में मुझे समीर पुत्र श्री अब्दुल सलीम निवासी 824, पचरंग पट्टी, बांसबदनपुरा, जयपुर के नाम से जाना जाये।

मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम नसरीन बानो (Nasrin Bano) दर्ज है जबकि मेरा सही नाम नसरीन बानो (Nasreen Bano) दर्ज है। भविष्य में मुझे नसीरन बानो (Nasreen Bano) पत्नी श्री अब्दुल सलीम निवासी 824, पचरंग पट्टी, बांसबदनपुरा, जयपुर के नाम से जाना जाये।

मैं आर्मी नं. 3202971 डब्लू पद-हवलदार माला राम ने अपने सैन्य रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम राजेश्वरी देवी (Rajeshuri Devi) गलती से दर्ज हो गया, जबकि उसका सही नाम राजेश्वरी (Rajeshvri) है।

मैंने अपना नाम Meena Surendra Jagdish Bhai से बदलकर Surendra Meena पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी-76, तालाब की पाल, रानीपुरा, टोंक (राज.)

I Teenu Saini S/o Ramesh Chand Saini R/o Dhani Puroowali, Tehsil-Bansur, Alwar, Bansur, Rajasthan - 301402, have changed my name to Praveen Saini

I Manoj Kumar S/o Deepchand Purohit R/o 268, Vishnoiyon Ki Dhani, Tehsil-Chitalwana, Khirodi, Jalor, Rajasthan - 343041, have changed my name to Rajpurohit Manoj Kumar

I army no Jc 470045L Ex SUB HONY CAPT indraj singh S/O Jai Narain R/O ward no 4 uparala bass teh neem ka thana sirohi district sikar that have changed my father/ mother name is wrong entered in service record from JAI NARAIN To JAY NARAYAN (DOB 1/1/1951) & mother BARJI DEVI To BARAJI (DOB 1/1/1943) vide affidavit dated 17/3/25 before sub divisional majistrate neem ka thana sikar

I service no JC470399N Ex SUB MAJ HONY CAPT. Bheem singh S/O Late Ramkumar Singh R/O house no 186 N shrikarni uma vihar Gokulpura jhotwara jaipur that have changed my daughter name From DIPIKA KANWAR is wrong entered in my service record TO DEEPIKA KANWAR vide affidavit dated 24 march 25 before district notary Jaipur

I service no 2896026X Ex NK Ramveer Singh Shekhawat S/O Late puran Singh Shekhawat Resident Off village post bhainslana tehsil Kotputli district jaipur that have changed my daughter name From KUMARI VARSHA KANWAR is wrong entered in service record To VARSHA KANWAR vide affidavit dated 1 apr 25 before district notary Jaipur

I, RAMKOR DEVI mother of No. 8037345W Hav(GD) Tejpal Saini R/o Vill: Khandwa, Po: Khandwa, Teh: Churu, PS: Bhaleri, Dist: Churu, State: Rajasthan, PIN: 331001 have changed my name from RAMKOR DEVI to RAM KOUR and date of birth also changed from 26 March 1967 to 01 Jan 1963 Vide affidavit No.CA 152199 Date 02/04/2025 (Jaipur)

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
क्रमांक :- जसअ/2025/353 दिनांक: 01.04.2025
ई-निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मु0) 78 से 80/2024-25
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मु0) से सम्बन्धित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com, eproc.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal Government of Rajasthan की वेबसाईट http;//sppp.rajasthan.gov.in के UBN No:- JMC2425WSOB01615, JMC2425WSOB01616 एवं JMC2425WSOB01617 पर देखी जा सकती है।
अधिशाषी अभियन्ता (मु0)
नगर निगम जयपुर (ग्रेटर)
राज.संवाद/सी/25/131

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (फ.स.) चौमूँ (जयपुर)
क्रमांक-1-13 **निविदा सूचना** दिनांक-02.04.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस मंडी समिति में निम्नलिखित व्यवस्थायें/कार्य करवाने हेतु ठेके देने के लिये इच्छुक निविदादाता फर्मो से दिनांक 08.04.2025 को प्रात 11.00 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र में बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य/व्यवस्था का नाम	ठेके की अवधि	कार्य की अनुमानित लात (लाख रू.मं)
1	कम्प्यूटर आपरेटर ठेका	एक वर्ष	6.00 लाख रूपये
2	सफाई व्यवस्था ठेका	एक वर्ष	8.00 लाख रूपये

प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 12.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष खोला जायेगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते व ज्ञानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.mandi.agriculture.rajsthan.gov. पद पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर अवलाकन की जा सकती है।
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(फ.स.) चौमूं, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्र.सं.18 जयपुर महानगर प्रथम
गुरू कृपा रोटो पैकेजिंग विरुद्ध एम.एम. फ्रुट कम्पनी
वाद/प्रार्थना पत्र 801/2024
प्रार्थना-पत्र संख्या - वाद बाबत वसूली
नाम एम.एम. फ्रुट कम्पनी प्रोपराईटर मोहनदास पिजनानी जाति...पता 1, उमरावती नगर जवाहर की नदी, ब्यावर रोड अजमेर राज. पता-2, निवास बंग्लो नं. 20 साई बाबा कालोनी अजय नगर अजमेर राज.
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04 माह 04 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 29 माह 03 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-शरिस्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश
मोहर अदालत **क्र.सं. 18 जयपुर महानगर**

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्र.सं.18 जयपुर महानगर प्रथम
गुरू कृपा रोटो पैकेजिंग विरुद्ध जय बाबा गृह उद्योग
वाद/प्रार्थना पत्र वाद बाबत वसूली
प्रार्थना-पत्र संख्या - 799/2024
नाम जय बाबा गृह उद्योग प्रोपराईटर हरेश दयाराम वाले जाति...पता ई-22, एम.आई.डी.सी. उमरावती महाराष्ट्र 444605
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04 माह 04 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 29 माह 03 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-शरिस्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश
मोहर अदालत **क्र.सं. 18 जयपुर महानगर**

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्र.सं.18 सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम
मै. गुरू कृपा रोटो पैकेजिंग विरुद्ध श्री साईनाथ ट्रेडिंग कंपनी
वाद/प्रार्थना पत्र वाद बाबत वसूली
प्रार्थना-पत्र संख्या - 348/2004
नाम श्री साइनाथ ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर हनुमान सिंह लखनोर जाति... पता 1. 40 बंगल रावल छितरौली तह. सांगानेर जि. जयपुर राज., पता 2, ख.नं. 70 अजमेर रोड पोस्ट अवनिया ग्रा. बगंला रावल वाया जि. जयपुर
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...नकल संलन है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04 माह 04 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 29 माह 03 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-शरिस्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश
मोहर अदालत **क्र.सं. 18 जयपुर महानगर**

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्र.सं.18 सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम
मै. गुरू कृपा रोटो पैकेजिंग विरुद्ध मिंगोला फूड प्रॉडक्टस
वाद/प्रार्थना पत्र वाद बाबत वसूली
प्रार्थना-पत्र संख्या - 353/2024
नाम मिगोला फूड प्रोडक्ट पुत्र....जाति... पता खसरा नं. 14/13 और 14/14/1 नफजगढ रोड द रेवेन्यू स्टेट नंगली सकरायती नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली-1100143
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...नकल संलग्न है
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04 माह 04 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 29 माह 03 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-शरिस्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायालय
मोहर अदालत **क्र.सं. 18 जयपुर महानगर**

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्र.सं.18 जयपुर महानगर प्रथम
गुरू कृपा रोटो पैकेजिंग विरुद्ध स्नेहा कन्फेंमानरी
वाद/प्रार्थना पत्र वाद बाबत वसूली
प्रार्थना-पत्र संख्या - 800/2024
नाम स्नेहा कॅनफैक्शनरी प्रो. स्नेहा बुलचान्दनी जाति... पता जी-1-120, एग्रो फेड पार्क, बौरान्दा जोधपुर राज.
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04 माह 04 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 29 माह 03 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-शरिस्तेदार/रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश
मोहर अदालत **क्र.सं. 18 जयपुर महानगर**